फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)मुकाम–सिरोही(राज.)

प्रार्थी
श्री प्रताप पुत्र केवलराम जाति ओझा
निवासी वेलांगरी, तहसील व जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थी
स्टेट जरिये तहसीलदार, सिरोही

किस्म मुकदमा
राजस्व प्रा.पत्र अ.धारा 136 एल.आर एक्ट

रा.प्रा.पत्र सं. 31 / 2023

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
27.08.2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर वकील श्री चेतन रावल व स्टेट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी स्टेट ने जरिये पत्रांक / कोर्ट / 2025 / 642 दिनांक 15.07.2025 से प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली की गई, प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई। तहसीलदार सिरोही से प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम वेलांगरी, पटवार मण्डल वेलांगरी की जमाबंदी 2072–75 के खाता संख्या 52 खसरा नम्बर 658 व 659 व खाता संख्या 51 खसरा नंबर 667 के अनुसार पृथ्वीराज पुत्र केवलाराम 1 / 8 जाति ब्राह्मण संयुक्त रूप से खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पास बुक आदि में प्रार्थी का नाम प्रताप राम पुत्र केवलाराम दर्ज है। गॉव में आमजन से पुछताछ करने पर बताया गया कि पृथ्वीराज व प्रतापराम दोनों एक ही व्यक्ति है। अतः ग्राम वेलांगरी पटवार मण्डल वेलांगरी की जमाबंदी 2072–75 के खाता संख्या 52 खसरा नम्बर 658 व 659 तथा खाता संख्या 51 खसरा नंबर 667 में वादी का नाम पृथ्वीराज के स्थान पर प्रतापराम दर्ज किया जाना उचित है। प्रकरण में वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। हमने वकील प्रार्थी व परोकार सरकार की अंतिम बहस का गंभीरता पूर्वक मनन किया, विचरण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली व दस्तावेजात व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अधारा 136 एल.आर एक्ट का तहसीलदार से प्राप्त जवाब के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि ***ग्राम वेलांगरी, पटवार मण्डल वेलांगरी की जमाबंदी 2072–75 के खाता संख्या 52 खसरा नम्बर 658 व 659 तथा खाता संख्या 51 खसरा नंबर 667 में पृथ्वीराज के स्थान पर प्रताप संशोधन कर*** उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें। **लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)** **सिरोही**	